मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 24 जनवरी 2006

क्रमांक–252–म.प्र.वि.नि.आ.–06– विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 43 (आई) सहपठित धारा 181 (2)(टी), धारा 44, धारा 46 सहपठित धारा 181 (आई), धारा 47 (आई) सहपठित धारा 181 (वी), धारा 47 (4) सहपठित धारा 181 (डब्लू), धारा 47 (2,3 एवं 5), धारा 48 (बी), धारा 50 सहपठित धारा 181 (2)(एक्स) एवं धारा 56 तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (जे) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 861–विनिआ–04 दिनांक 27 मार्च 2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में चतुर्थ संशोधन/परिवर्धन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 (चतुर्थ संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (iv) वर्ष 2006)''** कही जावेगी।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा।

2. विनियम 7 में संशोधन

(i) **मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004,** जिसे इसके बाद प्रधान संहिता कहा जावेगा, **प्रधान संहिता के अनुच्छेद 7.3** के ऊपर दर्शाये शीर्षक ''संविदा मांग की वृद्धि हेतु प्रक्रिया'' के स्थान पर निम्न शीर्षक प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''संविदा मांग/संयोजित भार की वृद्धि हेतु प्रक्रिया''

(ii) **उप–अनुच्छेद 7.6 (द) के अंत में निम्न पैरा जोड़ा जावे, अर्थात् :**

''7.6(ई) ऐसे प्रकरणों में जहां मांग आधारित टैरिफ प्रयोज्य है तथा उपभोक्ता उसके संयोजित भार में संविदा मांग में बिना किसी परिवर्तन के अभिवृद्धि करना चाहे, वहां वह अनुज्ञप्तिधारी को विद्यमान उपकरणों तथा संयोजित किये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों का विवरण दर्शाते हुए एक आवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करेगा तथा संयोजित भार को 30 दिवस के भीतर सत्यापित करेगा तथा उपभोक्ता को सूचित करेगा कि क्या संयोजित भार उपभोक्ता को प्रयोज्य निर्धारित उच्चतम सीमा के अंतर्गत है। यदि प्रयोजित टैरिफ में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को लिखित में सूचित करेगा। यदि अनुबंध मांग तथा प्रयोज्य टैरिफ में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक न हो, तो अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता संयोजित भार में अभिवृद्धि के संबंध में एक अनुबंध करेंगे तथा उपकरणों की सूची, संयोजित भार का विवरण दर्शाते हुए, अनुबंध का एक भाग होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को किसी अतिरिक्त सुरक्षा राशि अथवा अन्य किसी अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान, **सिवाय अनुबंध प्रभारों के**, नहीं करना होगा।''

(iii) प्रधान संहिता में **अनुच्छेद 7.12 के स्थान पर** निम्न पैरा प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''7.12 दो वर्ष की प्रारंभिक अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद, उपभोक्ता विद्यमान संविदा मांग में 50 प्रतिशत तक कमी करने हेतु आवेदन कर संविदा मांग कम कर सकता है। उपभोक्ता उसकी संविदा मांग को कम किये जाने के संबंध में आवेदन तिथि को लागू संविदा मांग के अधिकतम 50 प्रतिशत तक पुनरीक्षित किये जाने संबंधी प्रयोज्य दिनांक से दो वर्ष के बाद पुनः अनुरोध कर सकता है। उपरोक्त आवेदित की गई कमियां अनुच्छेद 3.4 में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय न्यूनतम संविदा मांग के अध्यधीन होंगी।''

3. विनियम 10 में संशोधन :

प्रधान संहिता में, **अनुच्छेद 10.8 के स्थान पर** निम्न पैरा प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :

''10.8 चेक अस्वीकृत होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की सुरक्षा राशि बढ़ाने का अधिकार होगा। अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त प्रभारों को अधिरोपित करने संबंधी कदम उठाने का अधिकार होगा जिसमें विलंब भुगतान प्रभार भी सम्मिलित होंगे जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विविध एवं सामान्य प्रभारों की अनुसूची में तथा टैरिफ आदेश में अथवा अन्य विधि–संगत कार्यवाहियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे। परन्तु उपभोक्ता को भविष्य में चेक द्वारा भुगतान किये जाने संबंधी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकेगा।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव